



दिनांक- 09.09.2026

-प्रैस नोट-
"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा

तस्कर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित कुल 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 590 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत 01 करोड 20 लाख रुपये) व 02 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला चाहमन्जली कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर (हिस्ट्रीशीटर अपराधी), 2. कलीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला हबीबगढ ताहिर ईटो वालो के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 3. ईसरत पत्नी नसीम निवासी चाँद कालोनी गली न0-06 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को रेलवे स्टेशन रोड गत्ता फैक्ट्री खण्डर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 590 ग्राम अवैध स्मैक (अभियुक्त नौशाद से 270 ग्राम स्मैक, अभियुक्ता ईसरज जहां से 260 ग्राम स्मैक व 01 मोबाइल फोन तथा अभियुक्त कलीम से 60 ग्राम अवैध स्मैक व 01 अदद मोबाइल) बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद एक शातिर किस्म का अभ्यस्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग एक दर्जन मुकदमे में दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 224/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मौ0 चाहमन्जली कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर (हिस्ट्रीशीटर)
2. कलीम पुत्र सलीम निवासी मौ0 हबीबगढ ताहिर ईटो वालो के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. ईसरत पत्नी नसीम निवासी चाँद कालोनी गली न0 06 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ कुल 590 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 01 करोड 20 लाख रुपये)

➤ 02 अदद मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त नौशाद) -

1. मु0अ0स0 48/02 धारा 14/148/149/307/504 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0स0 66/02 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
3. मु0अ0स0 44/04 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
4. मु0अ0स0 41/05 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना नानौता सहारनपुर
5. मु0अ0स0 244/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
6. मु0अ0स0 357/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
7. मु0अ0स0 277/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
8. मु0अ0स0 80/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
9. मु0अ0स0 329/15 धारा 399/402 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0स0 332/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0स0 334/25 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0स0 224/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

आपराधिक इतिहास (अभियुक्ता इशरत)-

1. मु0अ0स0 181/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 224/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त कलीम)-

1. मु0अ0स0 224/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 राधा चौहान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. रि0का0 1730 विशेष कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. रि0म0का0 1800 कोमल थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक 09.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जिशान पुत्र इनाम निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को पुराना कलसिया रोड पर जे.वी.जैन इन्टर कालेज के बराबर वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 465/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जिशान उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जिशान पुत्र इनाम निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 344/2011 धारा 380/411/454 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 345/2011 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 242/2012 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 251/2014 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 318/2019 धारा 323/354/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 120बी/406/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 315/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट ,थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 465/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

❖ 250 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है०का० 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का० 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 09.07.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त दीपक पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम बास्तम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 503/2026 धारा 333/74 पंजीकृत किया गया। विवेचना व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस का विलोप कर 64(1) की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम बास्तम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम सरकडी थाना नागल जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम बास्तम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. का0 690 सतीश कुमार, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09
बोतल देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त रितेश पुत्र भगवत निवासी अमर शहीद स्कूल के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नहर पटरी थरोली रोड टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 09 बोतल देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 421/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रितेश पुत्र भगवत निवासी अमर शहीद स्कूल के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

09 बोतल देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2245 अंशु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. का0 1333 सुशील थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक 09.09.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 04 लाख 20 हजार रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेण कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 08/09/2026 को 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **महताब पुत्र सरफराज निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम बसी से ग्राम कुण्डा को जाने वाले रास्ते पर सलीम के बागो के बीच जाने वाले कच्चे रास्ते से समय करीब 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **महताब** उपरोक्त से कुल 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 430/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त **महताब** उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

महताब पुत्र सरफराज निवासी ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 21 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 359/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1330 परविन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक -09.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. जुबैर पुत्र सलीम निवासी पीर वाली गली न0 04 मोमीन मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 13472/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना मण्डी जनपद (मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सहारनपुर) नियत तिथि – 10.09.2026 में पीर वाली गली से व अभियुक्त 2. सलीम पुत्र लियाकत निवासी पीर वाली गली न0 04 मोमीन मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 13475/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना मण्डी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सहारनपुर) नियत तिथि – 10.09.2026 में पीर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जुबैर पुत्र सलीम निवासी पीर वाली गली न0 04 मोमीन मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. सलीम पुत्र लियाकत निवासी पीर वाली गली न0 04 मोमीन मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 1232 राहुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 09.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा लगातार 21 वर्षों से फरार चल रहे NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लगातार 21 वर्षों से फरार चल रहे 01 NBW वारण्टी अभियुक्त निर्मल पुत्र हरीचन्द निवासी ग्राम कुलचन्दू थाना छप्पर जनपद यमुनानगर हरियाणा को संबंधित वाद सं0- 4351/24 व मु0स0अ0 119/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) नियत दिनांक 10.09.2026 में ग्राम कुलचन्दू (यमुनानगर) से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. निर्मल पुत्र हरीचन्द निवासी ग्राम कुलचन्दू थाना छप्पर जनपद यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री इकबाल सिंह तोमर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. है0का0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. है0का0 558 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदक पदार्थों/अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त राहुल पुत्र धर्मसिंह निवासी मौ0 नन्दपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 07 बोतल देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 422/26 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पुत्र धर्मसिंह निवासी मौहल्ला नन्दपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 640/24 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 146/25 धारा 3(5), 304(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1081 रुपेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 819 सतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1379 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले **03 अभियुक्तगण 1. कुणाल कुमार पुत्र ऋषि कुमार नि० तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार, 2. साहिबा पुत्री स्व० राशिद निवासी 62 फुटा पुरानी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 3. बुशरा पुत्री शब्बीर निवासी 62 फुटा पुरानी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. कुणाल कुमार पुत्र ऋषि कुमार निवासी तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार
2. साहिबा पुत्री स्व० राशिद निवासी 62 फुटा पुरानी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. बुशरा पुत्री शब्बीर निवासी 62 फुटा पुरानी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. म०उ०नि० मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म०है०का० 1099 नीरज थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. म०रि०का० 822 प्रीति थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि०का० 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 09-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी
अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09-09-2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त बालेश उर्फ डाक्टर पुत्र जयपाल निवासी वाजिदपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 3951/25 व मु0अ0सं0 155/02 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष सं0 20 सहारनपुर) नियत तिथि दिनांक 30/09/26 में ग्राम वाजिदपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बालेश उर्फ डाक्टर पुत्र जयपाल निवासी वाजिदपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2026

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत — थाना फतेहपुर एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना फतेहपुर मिशन शक्ति एण्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सड़क पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले **01 मनचला अभियुक्त दीपांशू पुत्र विकास कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर कलां थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को रसूलपुर मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 371/26 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार मनचले/अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपांशू पुत्र विकास कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर कलां थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म0है0का0 1099 नीरज थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. म0रि0का0 822 प्रीति थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 09.09.2026

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत — थाना फतेहपुर एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना फतेहपुर मिशन शक्ति एण्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सड़क पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 01 मनचले अभियुक्त अक्षय पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम नौली मील थाना नागल जिला सहारनपुर को रसूलपुर कट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 372/26 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार मनचले अभियुक्तगण का विवरण:-

अक्षय पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम नौली मील थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म0है0का0 1099 नीरज थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. म0रि0का0 822 प्रीति थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 793 अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक: 09.09.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा

तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 190 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा - नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त सावेज उर्फ कूडा पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर को ग्राम माजरी से ग्राम कैलाशपुर वाले रास्ते पर शमशानो की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 190 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 247/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सावेज उर्फ कूडा पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 190 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-38/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-0274/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्मस एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सतीश रोसा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 शिवकुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
5. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 09.09.2026

— सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही —

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चोरी/धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 3000/- रुपये, 01 आधार कार्ड, 07 दरी व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद

घटना का विवरण: -

दिनांक 03.09.2026 को वादी श्री सुकेश पुत्र आनन्द निवासी ग्राम नगला नसीराबाद थाना नकुड़ सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत 04 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में दरी बेचने आना व वादी की पत्नी को बातों में लगाकर धोखाधड़ी करके उसके पर्स से नकद 50 हजार रुपये व वादी का आधार कार्ड चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 452/26 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान उपरोक्त में धारा 303(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उक्त धोखाधड़ी/चोरी की घटना का शीघ्र अनवारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **शाहआलम उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल करीम निवासी चुअट्टा करबा व थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर** को ग्राम पिलखनी अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त एक EON कार व वादी के घर से चोरी किये रूपयों में से 3000/- रु0 नकद, वादी का आधार कार्ड व 07 दरी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर EON कार से दरी बेचने का काम करता हूँ, ग्राम नगला उर्फ नसीराबाद में जब हम लोग दरी बेचने गये थे तो एक मकान में एक महिला दरी खरीदने के लिये घर के अन्दर से पर्स लेकर आयी तो पर्स में काफी सारे पैसे देखकर हमने उस महिला को बातों में उलझाकर मेरे साथी ने पर्स से रुपये व आधार कार्ड चोरी कर लिया, उस महिला के शोर मचाने पर एक बुढ़िया वहाँ आ गयी थी उसे देखकर हम EON कार लेकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शाहआलम उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल करीम निवासी चुअट्टा करबा व थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 110/26 धारा 115(2), 190, 191(2), 191(3) 351(3) बीएनएस थाना इन्चोली जिला मेरठ।
2. मु0अ0सं0 193/21 धारा 323/324/504/506 भा0दवि0 थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0सं0 623/16 धारा 323/452/504/506 भा0दवि0 थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 कार ईओन (घटना में प्रयुक्त)
- 3000/- रू० नकद
- 01 आधार कार्ड
- 07 दरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ०नि० श्री विरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. है०का० 999 राजकमल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. है०का० 412 शाहरुन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. का० 1220 मनीष कौशिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 09.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी 8000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी

घटना का विवरण:-

दिनांक 21/04/2026 को शिकायतकर्ता श्रेया जैन निवासी गंगोह रोड मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से वादिया से 8000/- रुपये की ठगी कर लेने की सूचना दी गई थी। जिस पर तत्काल थाना नानौता साइबर सैल द्वारा आवेदिका की शिकायत संख्या 33104260087381 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कराई गई।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष विकाश चारण के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 33104260087381 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए। आवेदिका के 8000 रुपये को होल्ड करा दिये गये थे। आज दिनांक 09.06.2026 पीड़िता उपरोक्त की साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल 8000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी। धनराशि वापस पाकर पीड़िता ने थाना नानौता पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया।

बरामदगी का विवरण

8000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना नानौता सहारनपुर।
2. प्रभारी साइबर सैल म0उ0नि0 राधा चौहान थाना नानौता सहारनपुर।
3. का0 2196 अजीत सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. का0 1817 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. रिक्रूट का0 1712 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
6. रिक्रूट का0 1757 प्रशांत कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 09-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी लकड़ी के 04 गट्टे बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 31.08.2026 को वादी श्री मांगेराम पुत्र बिरम सिंह निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शौकीन पुत्र शौकत 2. कल्लू पुत्र जमील 3. चना उर्फ नामालूम 4. प्रवेज पुत्र भूरा निवासीगण ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के आम के पेड़ के टहने काट कर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 354/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.आजाद उर्फ चना पुत्र भूरा निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. शौकीन पुत्र शौकत निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर को उसण्ड तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गयी लकड़ी के 04 आम की लकड़ी के गट्टे बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. आजाद उर्फ चना पुत्र भूरा निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. शौकीन पुत्र शौकत निवासी ग्राम पठानपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 04 आम की लकड़ी के गट्टे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
2. का0 2044 सचिन कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
3. का0 448 पंकज कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
4. का0 439 रविन्द्र यादव थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।



दिनांक 09.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर घटना में** **प्रयुक्त 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2026 को वादी श्री साहब सिंह पुत्र बारु सिंह निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शिवम उर्फ मुरली पुत्र मुकेश निवासी गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी के लड़के आशु व देव की मोटर साइकिल रास्ते में रोककर गाली गलौच करना वादी के लड़के आशु व देव के द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के लड़के व देव के ऊपर जान से मारने कि नियत से फायर करना जिसमें वादी के लड़के आशु के हाथ में गोली लगकर घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 109(1), 352, 127(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घटना में नामजद अभियुक्त शिवम उर्फ मुरली पुत्र मुकेश निवासी गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वृद्धि धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। बरामदगी के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार निरुद्ध किया गया।

पीसीआर पर लिये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम उर्फ मुरली पुत्र मुकेश निवासी गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 देशी तमंचा
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधित इतिहास अभियुक्त शिवम उर्फ मुरली

1. मु0अ0सं0 191/24 धारा 115(2)/351(2) बीएनएस थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 224/2026 धारा 109(1), 352, 127(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 देवेन्द्रपाल सिंह तोमर थाना सरसावा सहारनपुर।
3. है0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
4. रि0का0 2290 कासिम थाना सरसावा सहारनपुर।
5. रि0का0 2571 दीपक कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
6. रि0का0 160 चन्द्रवीर थाना सरसावा सहारनपुर।



दिनांक 09.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा **ऑनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई 9,066/- रुपये की धनराशि** पीडित के खाते में वापस कराई गई

घटना का विवरण:- दिनांक 09.09.2026 को वादी श्री फकीर चन्द धीमान पुत्र श्री मुलतान सिंह नि० गागलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की ऑनलाइन शिकायत बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी कर फोन हैक करके खाते से 59,000/- रुपये की धनराशि ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गागलहेडी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त के खाते से फ्राड की गई 9,066/- हजार रुपये की धनराशि वापस कराई गई। पीडित द्वारा धनराशि वापस पाकर थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम-

1. प्रभारी निराक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री शिवम चौधरी प्रभारी साइबर सैल थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. म०है०का० 48 ममता तोमर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. का० 407 उत्तम कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
5. रि०का० 868 प्रियांशु गौतम थाना गागलहेडी सहारनपुर।